हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अपील संख्या 78/2021 बअनदान पोनीदेवी वगै. बनाम केसरदेवी वगै.	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांक 30.09.2022

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री रामसिंह राठौड़

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि प्रार्थी/अपीलांट के पिता हरीराम के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 530, 531, 542, 543, 615, 624, 783 कुल रकबा 39.05 बीघा व खसरा संख्या 613, 617, 618 कुल रकबा 05.06 बीघा मौजा गुड़ा पटवार हल्का गुड़ानाल तहसील सिवाना में अवस्थित है, जो तत्समय में हरिराम के खातेदारी कब्जा काश्त की थी, हरिराम अपीलांट के पिता एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 के पित व रेस्पोडेंटस संख्या 02 के ससुर थे, हरिराम का देहान्त निर्वसीयति वर्ष 2007 में हुआ, हरिराम के फौतगी पर हल्का पटवारी ने म्यूटेशन भरा, उसमें प्रथम श्रेणी की वारिस पुत्रियां अपीलांट नाम दर्ज नहीं किया, विधि अनुसार प्रार्थीगण प्रथम श्रेणी की पुत्रीयां होने से वारिसान थी, जिनका उक्त पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमियों में हक, हित एवं अधिकार जन्म से ही निहीत होकर वेस्ट हो गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उभयपक्षकारान के हितों का निर्धारण मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते रेस्पोडेंटस के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जाता है तो रेस्पोडेंटस को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेसपोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। हाजा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश से रेस्पोडेंटस को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अपीलाधीन आदेश 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आवेदन में पारित किया गया है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। मूल दावे के विचारण में रहते अपीलांटगण के कब्जा काश्त में रेस्पोडेंटस द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तो अपीलांटगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.09.2021 को अपास्त किया जाता है, उभयपक्ष को पाबंद किया जाकर हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2021 को मूल वाद के निस्तारण तक कंन्फर्म किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश दिनांक 30.09.2022 को सुनाया गया।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर